ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 5, Issue 7, July 2015 Impact Factor 3.418 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

आजमगढ़ जनपद में महिलाओं एवं लड़कियों पर होने वाली घरेलू हिंसा से अभिप्रायः आजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में

नीलू सिंह[1], डा रश्मी विश्नोई[2]

गृह विज्ञान विभाग

[1,2]श्री वेन्केटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, यू.पी.

सांराश

प्रस्तुत शोधपत्र में भोपाल महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलु हिंसा का अध्ययन किया गया। इस शोध कार्य में हमने। आजमगढ़ जनपद के 40 महिलाओं को न्यादर्श के रूप में चुना है। आक के सकलन के लिए उपकरण के रूप में उपकरण के रूप में घरेलु हिंसा से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि सर्वाधिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाकर घरेलु हिंसा के स्तर को कम किया जा सकता है सर्वाधिक प्रतिशत महिलाएँ यह मानती हैं कि शैक्षिक योग्यता का कम होना भी घरेलु हिंसा का एक मुख्य कारण है। उच्च शिक्षा से घरेलु हिंसा को रोका जा सकता है। तथा घरेलू हिंसा का मुख्य कारण लैगिक भेदभाव हैं। यदि महिलाएँ उच्च शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरुक भी रहेंगी जिसके परिणास्वरूप घर का कोई भी सदस्य उन्हें प्रताड़ित करने से पहले विचार करेगा। अर्थात् महिलाओं की शिक्षा जागरूकता और आत्मविश्वास ही उन्हें सफल बनायेगी।

मुख्यबिन्दुः– महिलाएँ, घरेलू हिंसा, शैक्षिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, लैगिक भेदभाव ।

1. प्रस्तावना

आधुनिक परिवेश में महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, वित्तीय एवं सैन्य सेवाओं आदि में अपना उत्कृष्ट योगदान देकर देश के विकास में सहायता कर रही हैं साथ ही साथ पारिवारिक दायित्वों को भी बखूबी निभा रहीं हैं। वे किसी भी कार्य में पुरूषों से कम नहीं है। आज भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन अधिकार प्राप्त हुए हैं तथा अनेक क्षेत्रों में उन्होंने पुरुषों से अधिक श्रेष्ठता हासिल की है। भारत की चमक बढ़ाती ये महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही हैं महिलाएं इस समाज में अकेले सुखमय जीवन व्यापन्न नहीं कर सकती, अगर घर में कोई पुरूष है तो घर की सुई तक सुरक्षित है लेकिन घर की मुखिया एक औरत है तो घर का हर कोना असुरक्षित हीं समझा जाता है। उसकी सरलता ही उसकी दुश्मन बन जाती है। आज भी अधिकांश परिवारों में लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। और लड़कों को लाड़–प्यार दिया जाता है। उदाहरण के लिए कहा जाता है– नारियों के लिए पढ़ने की क्या जरात उन्हें कोई नौकरी चाकरी तो करनी नहीं न किसी घर की मालकिन बनना है। उसके लिए तो घर गृहस्थी का काम सीख लेना ही पर्याप्त है।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 5, Issue 7, July 2015 Impact Factor 3.418 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

2. घरेलू हिंसा का अर्थ

परिवार के निकट संबंधियों के बीच होने वाली हिंसा को पारिवारिक हिंसा या घरेलू हिंसा कहते हैं। पिता तथा माता के बीच, भाई तथा बहनों के बीच भाई तथा भाई के बीच होने वाली हिंसक घटनाएँ पारिवारिक हिंसा के उदाहरण है। पति तथा पत्नी के बीच हिंसक घटनाएँ देखी जाती हैं। किसी उत्तेजक घटना के कारण व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण खो बैठता है और परिवार के सदस्य या सदस्यों जैसे पत्नी, अच्चे या अन्य सदस्य के साथ शारीरिक हिंसा पर उतर आता है।

3. पूर्व शोध कार्य

पटेल, अनीता (2002) ने महिला उत्पीड़नन का सिलसिला कब तक ने शोध–पत्र में घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में हिंसात्मक परिवेश में नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। इस लेख में बताया है कि स्त्री के प्रति घटित घरेलू हिंसा में पति, जेठ, ससुर, देवर के । अतिरिक्त सास, जेठानी, देवरानी भी शामिल होती हैं। अर्थात् पुरुषों के साथ महिलाएँ भी उत्तरदायी होती हैं। उनके अनुसार उत्पीड़न के समाधान के लिए स्त्री को चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में सम्पूर्ण शारीरिक एवं भावनात्मक साहस के साथ–साथ घरेलू हिंसा के अनुकूल निर्णय लें इससे महिलाओं के प्रति उत्पीड़न में कमी आएगी।

सिंह, अनुपम (2011) महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक चेतना पर प्रभाव। इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि महिलाओं को भरण पोषण, उत्तराधिकारी, पी. एन. डी. टी. एक्ट तथा घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियमों की जानकारी हो तथा वे उनका आवश्यकता होने पर प्रयोग कर सकें। शोध में इन्होंने महिला विकास के प्रमुख मापक भी बताए जैसे महिला के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन महिलाओं के स्वयं के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण स्वयं की स्थिति में सुधार व विकास हेतु चेतना जाग्रत होना, उनकी साक्षरता, रोजगार, शिक्षण–प्रशिक्षण, विवाह के प्रति दृष्टिकोण, स्वयं को अबला के स्थान पर सबला समझ पाए तथा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रवृत्ति का बीजारोपण, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र व प्रत्येक पहलू के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति तथा उनकी जागरूकता के कारण समाज में अनेक विकासपूर्ण स्थितियों का विघटन है।

सिंह, धर्मेन्द्र कुमार (2010) ने महिला यौन उत्पीड़न समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी नगर के महिलाओं पर आधारित), शीर्षक पर यह शोध कार्य वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ.प्र.) से किया। उनके अध्ययन के अनुसार आज विज्ञान हो या समाजशास्त्र, पर्यावरण हो या अंतरिक्ष यात्रा, राजनीति हो या उद्योग, प्रत्येक क्षेत्र में नारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वस्तुतः आज नारी की सामाजिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। वह घर की चार–दीवारी को लांघकर बाहर आई है, उसने पर्दे में रहना अस्वीकार कर दिया है। इस विषय में हमारी सरकार ने भी पर्याप्त सुविधाएँ जुटाई हैं। अब कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में समान भाग का अधिकार बना दिया गया है। विधवा विवाह भी वैध ठहराये गये हैं। घरेलू उत्पीड़न को पूर्ण रूप से अवैधानिक स्वीकार किया गया है। इस परिवर्तन में गैर सरकारी सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः गैर सरकारी सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों की सकारात्मक भूमिका

उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को आश्रय, सहयोग तथा न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। वैयक्तिक स्तर पर महिलाएँ शिक्षित होकर, आत्म विश्वास में वृद्धि कर, आत्मनिर्भर होकर, स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर और चरित्र को दृढ़ता प्रदान कर अपने प्रति उत्पीड़न का प्रतिरोध कर सकती हैं। सामाजिक रूप से पारिवारिक सदस्यों के सहयोग तथा व्यवहार के द्वारा महिलाओं पर होने वाले शोषण, जुल्म तथा प्रताड़ना को कम किया जा सकता है। महिलाओं का सबसे बड़ा अधिकार है उन्हें स्वतन्त्र और हिंसा मुक्त रूप से जीवन जीने दिया जाये और एक मानव होने के नाते उन्हें मानवाधिकार के सभी अधिकार दिये। जायें।

4. अध्ययन के उद्देश्य

- महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन करना।
- महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के कारणों का पता लगना।
- महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का निवारण का पता लगना।

5. शोध प्रविधि

(क) अध्ययन का न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए आजमगढ़ जनपद की 40 महिलाओं को लिया गया।

(ख)शोध विधि –

प्रस्तुत समस्या महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अध्ययन के लिये अनुसंधानकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जायेगा। तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितियक विधियों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तथा द्वितियक तथ्यों के संकलन के लिए पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

(ग) शोध कार्य में प्रयुक्त्य चर –

- स्वतन्त्र चर – शैक्षिक स्तर, सामाजिक । आर्थिक स्तर, लैगिक भेदभाव
- आश्रित चर – घरेलू हिंसा

(घ) शोध कार्य में प्रयुक्त साख्यिकी –

शोध कार्य में आंकड़ों के संकलन के पश्चात उनका परिणाम निकालने के लिए निम्न सांख्यिकी सूत्रों का प्रयोग किया गया।

- आवृत्ति
- प्रतिशत

(च) शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण –

आंकड़ों के संकलन के लिए उपकरण के रूप में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 5, Issue 7, July 2015 Impact Factor 3.418 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

6. तथ्यों का विश्लेषण

सारणी क्रमांक 1 सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर घरेलु हिंसा से ग्रसित महिलाओं का वर्गीकरण
सामाजिक आर्थिक स्तर ।

सामाजिक आर्थिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
उच्च	5	12.5
मध्यम	13	32.5
निम्न	22	55
कुल	40	100

सारणी क्रमांक 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित 40 महिलाओं में से 12.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च स्तर का 32.5 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर मध्यम स्तर का तथा 55 प्रतिशत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न स्तर का है। यहाँ सर्वाधिक संख्या निम्न स्तर की महिलाओं की है।

निष्कर्षःउपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाकर घरेलू हिंसा के स्तर को कम किया जा सकता है।

सारणी क्रमांक 2 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का वर्गीकरण

शैक्षिक योगिता	संख्या	प्रतिशत
साक्षर	5	12.5
प्राथमिक	24	60
उच्च	7	17.5
स्नातक	4	10
कुल	40	100

सारणी क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित 40 महिलाओं में से 12.5 प्रतिशत महिलाए केवल साक्षर हैं। सर्वाधिक 60 प्रतिशत महिलाए प्राथमिकध्माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 17.5 प्रतिशत महिलाएँ उच्चचतर माध्यमिक तक तथा 10 प्रतिशत महिलाए स्नातक/स्नातकोत्तर तक शिक्षित हैं।

निकर्षःउपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक प्रतिशत महिलाऐ यह मानती है कि शैक्षिक योग्यता का कम होना भी घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण है। उच्च शिक्षा से घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 5, Issue 7, July 2015 Impact Factor 3.418 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

सारणी क्रमांक 3 लैगिक भेदभाव के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित महिलाओं का वर्गीकरण

लैंगिक भेदभाव	संख्या	प्रतिशत
हाँ	31	77.5
न्हीं	00	00
आंशिक तौर पर हाँ	9	22.5
कुल	40	100

सारणी क्रमांक 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि लैगिक भेदभाव के आधार पर घरेलू हिंसा से ग्रसित 40 महिलाओं में से सर्वाधिक 77.5 प्रतिशत महिलाएँ यह मानती है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण लैगिक भेदभाव हैं। तथा 22.5 प्रतिशत महिलाएँ लैगिक भेदभाव को आंशिक तौर पर घरेलू हिंसा का कारण मानती है ।

निष्कर्षः उपरोक्त गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण लैगिक भेदभाव हैं।

6. परिणाम

शिक्षा मनुष्य की आरंभिक आवश्यकता है। इसे लड़कों की तरह लड़कियों को भी दी जानी चाहिये। हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होना चाहिए ताकि बढ़ती आवश्यकताओं वाले समय में एक दूसरे की सहायता करते हुए समूचे परिवार में खुशहाली ला सके । जो शिक्षा द्वारा ही संभव है। अशिक्षा के कारण महिलाओं को जीवन पर्यन्त कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा आज भी समाज में उनकी अशिक्षा के कारण ही उनका शोषण अधिक होता है। नारी शिक्षा का अभाव ही नारी समस्याओं का मूल कारण है वास्तव में अंधकार स्वयं कुछ न होकर आलोक का अभाव है। नारी को विवेकशील, विचारवान एवं चेतना संपन्न होना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा होता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उनको आत्मनिभर बनाकर ही उनके प्रति होने वाले घरेलू हिंसा में कमी की जा सकती है और शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी रहेंगी जिसके परिणास्वरूप घर का कोई भी सदस्य उन्हें प्रताड़ित करने से पहले विचार करेगा। अर्थात् महिलाओं की शिक्षा, जागरुकता और आत्मविश्वास ही उन्हें सफल बनायेगी।

7. सुझाव

- महिलाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाये, करना पड़ता है तथा आज भी समाज में उनकी शिक्षा क्योंकि महिलाएँ जितना अधिक शिक्षित होंगी उतना ही के कारण ही उनका शोषण अधिक होता है। नारी शिक्षा कानून के प्रावधान व उसकी प्रक्रिया को समझ सकती का अभाव ही नारी समस्याओं का मूल कारण है वास्तव हैं और सही समय पर इसका उपयोग कर सकती हैं।

- लड़कों की तरह लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा होता है। चाहिये तथा महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से

महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें, आत्मनिभर बनाकर ही उनके प्रति होने वाले घरेलु हिंसा । जिससे महिलाओं को भी हर क्षेत्र में समान रूप से में कमी की जा सकती है और उनके लिये स्थान मिल सके। जिसके परिणास्वरूप लैगिक भेदभाव सहानुभूतिपूर्ण वातावरण और उचित आवश्यक अवसर को समाप्त किया जा सकता है।

- महिलाओं का सबसे बड़ा अधिकार है उन्हें स्वतन्त्र और हिंसा मुक्त रूप से जीवन जीने दिया जाये और एक मानव के नाते उन्हें मानवाधिकार के सभी अधिकार दिये जाने चाहिए।

- परम्परागत एवं रुढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने से ही लैगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. अग्रवाल, जे.सी..(1998). भारत में नारी शिक्षा, विद्याविहार, नई दिल्ली।

[2]. अंसारी, एम.ए..(2003). महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर द्य

[3]. गुप्ता, एच.पी. (2005). श्सांख्यिकीय विधि शारदा पुस्तक भवन इलाहाबद।

[4]. नरूला, संजय (2007), षरिसर्च मैथडोलाजी ष्स्वरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली।

[5]. अहूजा, राम, (2008). सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

[6]. पटेल, अनीता (2002). ष्महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक योजना शोधदृपत्र, वॉल्यूम 46, नम्बर 3।

[7]. सिंह, अनुपम (2011). ष्महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक शोधश, अप्रकाशित शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र, जीवाजीं विश्वविद्यालय, ग्वालियर (उत्तर प्रदेश)।

[8]. सिंह. धर्मेन्द्र कुमार (2016). श्महिला यौन उत्पीड़न रू समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी नगर के महिलाओं पर आधारित), प्रकाशित पी–एच.डी. शोध–प्रबंध, समाजशास्त्र संकाय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) ।